रजिस्टर्ड नं० एस० ३८८

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 1 मई, 1972
वैशाख 12, 1894 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग

संख्या 1464/सत्रह—वि0-29-72

लखनऊ, 1 मई, 1972

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 पर दिनांक 30 अप्रैल, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1972 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 1972)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (54) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

'(54) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन स है,'

धारा 129 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 129 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जाएं, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (5-क) और (5-ख) में यथा व्यवस्थित के सिवाय, महापालिका की कोई अचल सम्पत्ति उस दशा के सिवाय जब निम्नलिखित को भूमि बेची जाय, पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की जाय, उसके बाजार मूल्य से कम धनराशि पर, न तो बेची जायेगी, न पट्टे पर दी जायेगी और न अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण किया जायगा—

(क) कोई परिनियत निकाय ;

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि (जो कृषि, औद्यानिकी या पशु-पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य-पालन तथा कुक्कुट-पालन भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित न हो) या भवन से, इस अधिनियम के अधीन उसके अनिवार्य रूप से अर्जन किये जाने के कारण, निष्पादित हो और जिसके पास नगर मे कोई अन्य भूमि या भवन न हो, या

(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1861 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी को शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन के लिये (जिसके अन्तर्गत कोई धर्म कार्य या उसका प्रचार नहीं है और जिसमें धर्म, जाति या जन्म-स्थान के आधार पर लाभार्थियों के संबंध में विभेद नहीं है) :

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की दशा में इस प्रकार दी गई किसी रियायत का मूल्य—

(1) पट्टे की दशा में, वार्षिक किराया मूल्य के आधे से,

(2) किसी अन्य हस्तान्तरण की दशा में, बाजार मूल्य के आधे या दस हजार रुपये से, इसमें जो भी कम हो, अधिक न होगा ।

स्पष्टीकरण—यदि प्रस्तावित रियायती मूल्य के संबंध में अथवा इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि किसी प्रस्तावित हस्तान्तरण का उपर्युक्त के अनुसार कोई शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन है या नहीं, तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

(5-क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किसी ऋण से महापालिका द्वारा बनाया गया कोई गृह या अर्जित भूखण्ड ऐसे ऋण के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार महापालिका द्वारा बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है ।

(5-ख) राज्य सरकार की तदर्थ किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, महापालिका का कोई गृह या गृह-स्थान, संघ के सशस्त्र सेनाओं के किसी ऐसे सदस्य के पक्ष में, जिसके संबंध में विहित प्राधिकारी ने इंडियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) ऐक्ट, 1925 के अधीन इस बात का प्रमाण-पत्र दिया हो कि वह शत्रु की कार्यवाही से अंगहीन हुआ है, अथवा यदि उक्त विहित प्राधिकारी ने यह प्रमाण-पत्र दिया हो कि शत्रु की कार्यवाही से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके ऐसे दायादों के पक्ष में जो उसकी मृत्यु के समय उस पर आश्रित थे, निःशुल्क अथवा ऐसी रियायती शर्तों पर जैसा कि महापालिका उचित समझे, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

4—मूल अधिनियम की धारा 348 में—

(1) उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(कक) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की जायगी, जिसे विकास समिति, समय-समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय-सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय-सीमा जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।";

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "कोई भी व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसके निष्पादन की समय-सीमा के भीतर" रख दिये जायें ;

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(3) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पत्ति का स्वामी धारा 363 के अधीन योजना के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु उसके लिए निष्पादन की समय-सीमा के भीतर अथवा तत्पश्चात् तीन वर्ष के भीतर महापालिका को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस के दिनांक के 6 महीने के भीतर ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ले। तदुपरान्त महापालिका तदनुसार सम्पत्ति अर्जित करेगी, और यदि वह ऐसा न कर सके तो ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो धारा 372 में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाय।"

5--मूल अधिनियम की धारा 349 में; शब्द "तो वह मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है" के स्थान पर शब्द "तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है", रख दिये जायें।

6--मूल अधिनियम की धारा 350 में--

(1) उपधारा (1) में; शब्द "तो वह मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है" के स्थान पर शब्द "तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है" रख दिये जायें ;

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(1-क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की जायगी जिसे विकास समिति, समय-समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय-सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय-सीमा, जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी ;"

(3) उपधारा (4) में ; शब्द "धारा 363 के अधीन किसी योजना के विज्ञापित होने के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "धारा 363 के अधीन ऐसी योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उसके निष्पादन की समय-सीमा के भीतर" रख दिये जायं।

7--मूल अधिनियम की धारा 365 में; उपधारा (4) में--

(1) शब्द "इस अध्याय के अधीन" तथा शब्द "अधिकृत विकास योजना" के बीच में शब्द "किसी भावी सड़क योजना या किसी नगर प्रसार योजना से भिन्न" बढ़ा दिये जायें और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायें ; और

(2) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें ; अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 42 या कानपुर अरबन एरिया डेवेलपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 के अधीन अधिसूचित (भावी सड़क योजना या नगर प्रसार योजना से भिन्न) किसी ऐसी विकास योजना के सम्बन्ध में; जिसे धारा 577 के खंड (ग) के प्रभाव से इस प्रकार जारी रखा जा सकता है मानो वह इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गयी हो, इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द तथा अंक "धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1973 को या इसके पूर्व" रखे गये हों;

(ख) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 363 के अधीन अधिसूचित किसी विकास योजना के सम्बन्ध में इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द "पांच वर्ष" क स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रखे गये हों :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, पांच वर्ष या दस वर्ष की उक्त अवधि या, जैसी भी दशा हो, 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली उक्त अवधि व्यतीत होने के पूर्व सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।"

8—मूल अधिनियम की धारा 373 में—

(1) उपधारा (1) में शब्द "एक सभापति तथा दो असेसरों से मिलकर बनेगा" के स्थान पर शब्द "एक सदस्य का होगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जायगा" रख दिये जायें ;

(2) उपधारा (2) में शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "उक्त सदस्य" रख दिये जायें, और उसका प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय;

(3) उपधारा (3) में शब्द "न्यायाधिकरण के सभापति तथा असेसर" के स्थान पर शब्द "उक्त सदस्य" और शब्द "किये जायंगे" के स्थान पर शब्द "किया जायगा" रख दिये जायं ;

(4) उपधारा (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायें; अर्थात् :—

"(4) यदि किसी कारण से न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति की पूर्ति के लिए इस धारा के अनुसार दूसरा व्यक्ति नियुक्त करेगी, और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जिस पर रिक्ति की पूर्ति की जाय, जारी रखी जा सकती है।

(5) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व (सभापति और दो असेसरों से मिलकर बने) न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई कार्यवाही, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् न्यायाधिकरण के समक्ष, जिस में उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में उक्त सभापति हो, उस प्रक्रम से जिस पर न्यायाधिकरण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय, जारी रखी जा सकती है।"

9—मूल अधिनियम की धारा 374 में शब्द "सभापति तथा, प्रत्येक असेसर" के स्थान पर शब्द "पीठासीन अधिकारी" रख दिये जायं।

10—मूल अधिनियम की धारा 375 में—

(1) उपधारा (1) में शब्द "न्यायाधिकरण का सभापति" के स्थान पर शब्द "न्यायाधिकरण" रख दिया जाय ;

(2) उपधारा (2) में शब्द "सभापति द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा" रख दिये जायें।

11—मूल अधिनियम की धारा 378 निकाल दी जाय।

12—मूल अधिनियम की धारा 381 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द "न्यायाधिकरण का सभापति" के स्थान पर शब्द "न्यायाधिकरण" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात् :—

"(5) (1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र न्यायाधिकरण के निर्णय के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(2) न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उक्त प्रमाण-पत्र दिये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपील के लिए विशेष अनुमति के निमित्त हाई कोर्ट को प्रार्थना-पत्र उक्त प्रमाण-पत्र अस्वीकार करने की आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(5-क) उपधारा (5) के अधीन अपील या प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।"

13—किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आज्ञा में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा 365 या धारा 577 के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट विकास योजना के लिए भूमि या उसमें स्वत्व का अर्जन करने के सम्बन्ध में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत जारी की गयी कोई अधिसूचना, की गयी कार्यवाही, दी गयी आज्ञा या दिया गया अभिनिर्णय अथवा लिया गया कब्जा भी है, वैध समझी जायगी, और सदैव से इस प्रकार वैध होगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे, और ऐसी अग्रेतर कार्यवाहियां, यदि कोई हों; जो अपेक्षित हो, तदनुसार की जा सकती हैं : वैधीकरण

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी भूमि या भूमि में स्वत्व की दशा में जो ऐसी विकास योजना का विषय हो, मूल अधिनियम (एतद्द्वारा यथा संशोधित) के, अध्याय 14 में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण, उक्त अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुये:—

(क) यह समाधान हो जाने पर, कि भूमि, मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व था, की धारा 365 की उपधारा (4) में या उसके अधीन, यथा-स्थिति, निर्दिष्ट अवधि या बढ़ायी गयी अवधि, की समाप्ति के पश्चात्, सद्भावना से और प्रतिफल के लिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस में हितबद्ध किसी व्यक्ति से अर्जित की गयी है, सभी सारवान परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, हस्तान्तरिती को ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर दे सकता है, जिसे वह उचित समझे;

(ख) यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भूमि पर उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति, द्वारा, जिसके अन्तर्गत खण्ड (क) में अभिदिष्ट कोई हस्तान्तरिती भी है, कोई सुधार किये गये हैं, उसे अतिरिक्त प्रतिकर देगा, जो ऐसे सुधारों की लागत के बराबर होगा।

स्पष्टीकरण—पद "हितबद्ध व्यक्ति" का वही अर्थ होगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में है।

14—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, 1972 का निरसन

No. 1464 (2) /XVII-V–29-72

Dated Lucknow, May 11, 1972

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 1972), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 30, 1972.

THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKA (AMENDMENT) ACT, 1972

[U. P. Act no. 24 of 1972]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959

It is hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Act, 1972. Short title.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter referred to as the principal Act, for clause (54) the following clause shall be *substituted*, namely— Amendment of section 2.

'(54) "premises" means any land or building ;'.

3. In section 129 of the principal Act, *for* sub-section (5), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(5) Except as provided in sub-sections (5-A) and (5-B), no immovable property belonging to the Mahapalika shall be sold, leased or otherwise transferred for a sum less than the market-value thereof except in the case of sale, lease or other transfer of land—

(*a*) to a statutory corporation,

(*b*) to a person displaced from any land (not being land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture and poultry farming) or building by reason of the compulsory acquisition thereof under this Adhiniyam and who does not own any land or building within the city, or

(*c*) for an educational, cultural or other charitable purpose (not including the practice or propagation of any religion and not involving discrimination in respect of the beneficiaries on the ground of religion, caste or place of birth) to a society registered under the Societies Registration Act, 1861 :

Provided that except in the case of a sale, lease or other transfer of land with the previous approval of the State Government, the value of any concession so granted shall not exceed—

(i) in the case of a lease, one-half of the annual rental value ;

(ii) in the case of any other transfer, one-half of the market-value or ten thousand rupees whichever is less.

Explanation—If any question arises as to the value of a proposed concession or as to whether the purpose of a proposed transfer is an educational, cultural or other charitable purpose as aforesaid the decision of the State Government shall be final.

(5-A) A house built or a plot of land acquired by the Mahapalika from a loan granted by the Central Government or the State Government or any other authority be sold, leased or otherwise transferred by the Mahapalika in accordance with the terms and conditions of such loan.

(5-B) Subject to any general or special order of the State Government in that behalf, a house or a house-site belonging to the Mahapalika may be sold, leased or otherwise transferred either free of cost or on such concessional terms as the Mahapalika thinks fit, in favour of any member of the armed forces of the Union in whose favour the prescribed authority under the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925 has issued a certificate that he has been disabled by enemy action or where the said prescribed authority has certified that he has died by enemy action, then in favour of such of his heirs as were dependant on him at the time of his death."

4. In section 348 of the principal Act—

(i) in sub-section (1)—

(*a*) *after* clause (*a*), the following clause shall be *inserted*, namely—

"(*aa*) The said resolution shall specify the time-limit for the execution of the scheme, which may be extended by the Development Committee by resolution from time to time :

Provided that in the case of a scheme notified before the commencement of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Act, 1972, such time limit if not already specified, shall be specified by a fresh resolution of the Development Committee not later than one year after the commencement of the said Act :

Provided further that such time limit, including extensions, if any, shall in no case exceed twenty years from the date of notification of the scheme under section 363" ;

(*b*) in clause (*b*), for the words "No person shall" the words "After the scheme has been notified under section 363 no person shall, within the time-limit for its execution" shall be *substituted* ;

(ii) *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(3) The owner of any property included in a Bhavi Sarak Yojana (Deferred Street Scheme) may, at any time after the scheme has been notified under section 363 but within the time limit for its execution or within three years thereafter give the Mahapalika notice requiring it to acquire such property before the expiration of six months from the date of such notice. The Mahapalika shall thereupon acquire the property accordingly, and if it fails to do so it shall pay such compensation as may be determined by the Tribunal referred to in section 372 in accordance with the provisions of this Act and the rules."

Amendment of section 349.

5. In section 349 of the principal Act, for the words "it may require the Mukhya Nagar Adhikari" the words "it may by resolution require the Mukhya Nagar Adhikari" shall be *substituted*.

Amendment of section 350.

6. In section 350 of the principal Act—

(i) in sub-section (1), *for* the words "it may require" the words "it may by resolution require" shall be *substituted* ;

(ii) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-*a*) The said resolution shall specify the time-limit for the execution of the schemes, which may be extended by the Development Committee by resolution from time to time :

Provided that in the case of a scheme notified before the commencement of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Act, 1972, such time limit, if not already specified, shall be specified by a fresh resolution of the Development Committee not later than one year after the commencement of the said Act :

Provided further that such time-limit, including extensions, if any, shall in no case exceed twenty years from the date of notification of the scheme under section 363." ;

(iii) in sub-section (4), *for* the words "When any such scheme has been notified under section 363" the words "At any time after such scheme has been notified under section 363, but within the time limit for its execution," shall be *substituted*.

Amendment of section 365.

7. In section 365 of the principal Act, in sub-section (4)—

(i) *after* the words "an improvement scheme authorised under this Chapter" the words "other than a Bhavi Sarak Yojana or a Nagar Prasar Yojana" shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted* ; and

(ii) *for* the provisos thereto the following provisos shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"Provided that—

(*a*) in relation to any improvement scheme (other than a deferred street scheme or a town expansion scheme) notified under section 42 of the United Provinces Town Improvement Act, 1919 or section 60 of the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945, which by virtue of clause (*c*) of section 577 may be continued and if it had been initiated under this Act, this sub-section shall be so construed as if for the words and figures 'within a period of five years from the date of the notification of the scheme under section 363' the words and figures 'on or before the thirty-first day of December 1973' were *substituted* :

(*b*) in relation to any improvement scheme notified under section 363 before the commencement of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Act, 1972, this sub-section shall be so construed as if for the words "five years" the words "ten years" were *substituted* :

Provided further that the State Government by general or special order made before the expiry of the said period of five years or of ten years, or, as the case may be, the said period ending on the thirty first day of December, 1973 may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period by one year."

Amendment of section 373.

8. In section 373 of the principal Act—

(i) in sub-section (1), *for* the words "a Chairman and two assessors" the words "a single member, to be referred to as its presiding officer" shall be *substituted* ;

(ii) in sub-section (2), *for* the words "The Chairman" the words "The said member" shall be *substituted* and the proviso thereto shall be *omitted*;

(iii) in sub-section (3), *for* the words "The Chairman of the Tribunal and the assessors" the words "The said member" shall be *substituted* ;

(iv) *for* sub-sections (4), (5) and (6) the following sub-sections shall be *substituted*, namely—

"(4) If for any reason a vacancy occurs in the office of the presiding officer of the Tribunal the State Government shall appoint another person in accordance with this section to fill the vacancy, and the proceedings may be continued before the Tribunal from the stage at which the vacancy is filled.

(5) Any proceeding pending before the Tribunal (consisting of a Chairman and two assessors) immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Act, 1972, may after such commencement be continued before the Tribunal consisting of the said Chairman as its presiding officer from the stage at which the constitution of the Tribunal is so changed."

Amendment of section 374.

9. In section 374 of the principal Act, for the words "The Chairman and each assessor" the words "The presiding officer" shall be *substituted*.

Amendment of section 375.

10. In section 375 of the principal Act :

(i) in sub-section (1) *for* the words "The Chairman of the Tribunal" the words "The Tribunal", shall be *substituted*.

(ii) in sub-section (2), the words "The Chairman with the previous approval of" shall be *omitted*.

Omission of section 378.

11. Section 378 of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 381.

12. In section 381 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "the Chairman of the Tribunal" the words "the Tribunal" shall be *substituted* ;

(*b*) *for* sub-section (5), the following sub-sections shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(5) (i) An application for the grant of a certificate under clause (*a*) of sub-section (1) may be made within thirty days from the date of decision of the Tribunal.

(ii) An appeal against the decision of the Tribunal may be preferred within sixty days from the date of the grant of the said certificate.

(iii) An application to the High Court for special leave to appeal under clause (*b*) of sub-section (1) may be made within sixty days from the date of the order of refusal of the said certificate.

(5-A) The provisions of sections 5 and 12 of the Limitation Act, 1963 shall *mutatis mutandis* apply to an appeal or application under sub-section (5)."

Validation.

13. Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, anything done or any action taken before the commencement of this Act, including any notification issued, proceeding taken or order passed or award made or possession taken, in respect of acquisition of land or interest in land for improvement scheme referred to in section 365 or clause (*c*) of section 577 of the principal Act shall be deemed to be and always to

have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times and such further proceeding, if any, as may be required may be taken accordingly :

Provided that in the case of any land or interest in land which is the subject of such improvement scheme, the Tribunal referred to in Chapter XIV of the principal Act (as hereby amended) may, subject to the provisions of that Chapter—

(*a*) on being satisfied that the land has been acquired from any person interested therein by any other person in good faith and for consideration after expiry of the period or extended period, as the case may be, specified in or under sub-section (4) of section 365 of the principal Act as it stood before its amendment by this Act award the transferee such additional compensation as, considering all the material circumstances, it thinks fit;

(*b*) on being satisfied that any improvements have been effected over the land by any person interested therein, including any transferee referred to in clause (*a*), after the expiry of the said period, award him additional compensation equivalent to the cost of such improvements.

Explanation—The expression "person interested" has the same meaning as in the Land Acquisition Act, 1894.

14. The Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Ordinance, 1972 is hereby repealed. Repeal of U. P. Ordinance no. 8 of 1972.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
विशेष सचिव ।

पी०एस० यू०पी०—ए०.पी० 47 गजट (हि०)—1972—1,967+100 (मे०) ।